IV 03/13

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 524333

वरिष्ठ कोषाधिकारी
18 DEC 2012
गाजीपुर

फोटो प्रमाणित
मनोज कुमार सिंह
Jai Prakash Tiwari
18/1/2013

# कैम्ब्रिज एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट

कार्यालय ग्राम–बड़ौरा पो0–सलानतपुर जिला–गाजीपुर

न्यास विलेख **(Instrument of trust):-**

यह न्यास विलेख आज दिनांक – **15.01.2013**

मनोज कुमार सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी ग्रा0–बड़ौरा पो0–सलामतपुर तहसील–मु0बाद विकास खण्ड–कासिमाबाद जिला–गाजीपुर उ0 प्र0 द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हें आगे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक पर रूपया 10000/–) (दस हजार रूपया मात्र ) की राशि है। न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का [illegible] इच्छुक है [illegible] कि समाज की उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य [illegible] क्योंकि यह ट्रस्ट [illegible] के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षेप में ट्रस्ट भी [illegible] जा सकेगा।

कैम्ब्रिज एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

क्योंकि [illegible] न्यासकर्ता,मैनेजिंग ट्रस्टी [illegible] कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न [illegible] सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष में सम्पदा एवं [illegible] ट्रस्ट अपने उद्देश्यों [illegible] प्रभावी [illegible] सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा से [illegible] 10000/– (दस हजार रूपया मात्र ) [illegible] ट्रस्ट का [illegible] की है।

और [illegible] में इस ट्रस्ट का [illegible] कार्यालय ग्राम– बड़ौरा पो0–सलामतपुर विकास खण्ड कासिमाबाद,[illegible] कार्यालय [illegible] बड़ौरा गाजीपुर [illegible] स्थानों पर इस [illegible] किया जा सकेगा।

Manoj Kumar Singh

क्रमांक 2483

स्टाम्प खरीदने की तिथि [illegible] 13

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ड्राफ्ट

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता मनोज कुमार सिंह [illegible]

[illegible]

स्टाम्प की धनराशि 100/

[illegible] 10-01-13

[illegible] स्टाम्प विक्रेता

तहसील मुहम्मदाबाद

[illegible]

ड्राफ्ट

[illegible] 1000 [illegible] 800

मनोज कुमार सिंह [illegible]

[illegible]

10/01/13

3/4

10/1/13

Manoj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 524334

कोषागार कार्यालय
18 DEC 2012
गाजीपुर

(2)

क्योंकि न्यासकर्ता / ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

कैम्ब्रिज ऐजुकेशनल एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली:–

ट्रस्ट के उद्देश्य:– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, पालिटेक्निक कालेज, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धा आश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स, उत्थान केन्द्रों की स्थापना, भवनकरण, विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन। समाजोत्थान सम्बन्धी समस्त कार्य आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत करा सकना।
2. ग्राम विकास औद्योगिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।

क्रमशः......3

Mary Kumar Singh

स्टाम्प क्रम ...
स्टाम्प खरीदने वाले का नाम ...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...

... की धनराशि ...

स्टाम्प वेंडर तहसील मुहम्मदाबाद

मनोज कुमार सिंह ... ID No CKG1830579

राकेश कुमार सिंह ... अशोक सिंह
बड़ौरा ...
सुधीर कुमार सिंह ... हरिकेश सिंह
बड़ौरा

10/11/13

Manoj Kumar Singh

राकेश कुमार सिंह
सुधीर सिंह

10/11/13

# भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 524335

वरिष्ठ कोषाधिकारी
18 DEC 2012
गाजीपुर

(3)

6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, आदि सभी विभाग के कार्यक्रम का संचालन करना।
10. प्राविधिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा की स्थापना एवं संचालन तथा आई० आई० टी०, आई० टी० आई०, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग आपरेशन टेक्नीशियन, लैब .टेक्नीशियन,फिजीयोथीरैपी एवं मेडिकल कॉलेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटलों, नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर , जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय , वाचनालय, पत्र –पत्रिकाओं , समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण ,बिक्री एवं मूल्य निर्धारण करना।
13. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्य, वैज्ञानिक , क्रीड़ा मार्शल आर्ट ,संगीत , तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक, भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

क्रमश......4

Manoj Kumar Singh

[illegible]

९-८-२०१३

[illegible]

तहसील [illegible]

[illegible] 12 [illegible]

[illegible] 13 [illegible]

4

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BG 524336

वरिष्ठ कोषाधिकारी
18 DEC 2012
गाजीपुर

(4)

15 विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास, आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।

16. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण, आदि कर सकना।

17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षायें सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।

18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

19. व्यक्ति विशेष एवं अन्य सोसाईटी/ट्रस्ट के द्वारा अगर प्रस्ताव आदि दिया जाता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुमति से उसके द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्राविधिक एवं तकनीकी कालेजो, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

20. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

21. विधिसम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।

22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।

23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार–प्रसार कर सकना।

24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।

Manoj Kumar Singh

क्रमशः 5

तहसील मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 909756



25 एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।

26 पुस्तकें, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित, विकृति कर सकना।

27 ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए सममुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।

29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृति करने हेतु कार्य कर सकना।

30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।

31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/प्राविधिक एवं तकनीकी कालेजों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

34. ट्रस्ट के कोष एवं संपदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

क्रमशः — 6

तहसील मुहम्मदाबाद

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 AUG 2012

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 909757

6



35. ट्रस्ट जन सामान्य के कार्य करेगा । ट्रस्ट यथा संभव अपनी सेवायें/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निमार्ण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।

36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा। जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लीनिक का निर्माण करना।

39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

(2) <u>प्रारम्भिक उपबन्धः—</u>

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकरण के दिनांक से                  को जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं। इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

Malykumar Singh

क्रमशः.......7

13

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 AUG 2012

गाजीपुर

7

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 909758

(7)

(3) <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण:–</u>

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि व अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें, जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत / इच्छा / व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

Manoj Kumar Singh

तहसील मुहम्मदाबाद

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 AUG 2012

गाजीपुर

8

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AE 909759

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जीवन काल में अपना कार्य भाल अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप में हस्तान्तरित कर देता है तो अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकता

7. कार्यरत मैनेजिंग/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एंव पुनर्विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान करदे।

8. कार्यरत मैनेजिंग/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारो सहित पूर्ण माना जायेगा।

(4) <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज</u>

यह कि मैनेजिंग/अध्यक्ष विषयो पर विचार विमर्श करने व सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन कर रहा रहा है। जो निम्न है।

<u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का नाम :-</u>

1. भीम सिंह पुत्र स्व० नन्कू सिंह
2. नीलम देवी पत्नी डा0 भीम सिंह
3. पूनम सिंह पत्नी डा0 भीम सिंह
4. राजकुमार सिंह पुत्र डा0 भीम सिंह
5. दिलीप कुमार सिंह पुत्र डा0 भीम सिंह

ग्रा0–बड़ौरा पो0–सलामतपुर जिला–गाजीपुर उ0प्र0

6. अरूण कुमार सिंह पुत्र श्रीकान्त सिंह
7. रजत सिंह पुत्र श्रीकान्त सिंह

सा0– कटरा पश्चिम बाईपास रोड बस्ती जनपद बस्ती

8. अभय सिंह पुत्र श्री जयप्रकाश नरायण सिंह ग्रा0–पुरा पो0–भुजौली जनपद–बलिया उ0प्र0
9. विशुनदेव पाण्डेय पुत्र महेन्द्र पाण्डेय ग्रा0–उपधि पो0–गंगौली जनपद–गाजीपुर
10. प्रदीप कुमार सिंह पुत्र श्री वंशबहादुर सिंह ग्रा0–सरियावें पो0–देवकली भवा नगर जनपद–बलिया
11. प्रेम कुमार सिंह पुत्र साहब राज सिंह ग्रा0–कोड़रा कासिमाबाद गाजीपुर उ0प्र0
12. अनमोल राय पुत्र स्व0 त्रिभुवन राय सा0–ई–44 इंडस्ट्रीयल एरिया ताजोपुर मऊ जनपद मऊ
13. अजय सिंह पुत्र उदय शंकर सिंह ग्रा0+पो0–बेलौली वाया मर्यादपुर जनपद–मऊ
14. जय प्रकाश तिवारी पुत्र हरिशंकर तिवारी ग्रा0–देवली पो0–सलामतपुर जनपद–गाजीपुर

Manoj Kumar Singh

...उरहमान स्टाम्प विक्रेता
तहसील मुहम्मदाबाद

वरिष्ठ कोषाधिकारी
28 AUG 2012
गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 909760



2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझें बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वंय करेगा।

3. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको की मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टीज /अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टीज/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया, निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(5) <u>अध्यक्ष / मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं :–</u>

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रुप से मान्य होगा।

2. यह कि ट्रस्टी / अध्यक्ष अपना, उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/ भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

क्रमशः........10

Manoj Kumar Singh

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 AUG 2012

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 909761



(6) <u>कार्यक्षेत्र :–</u>

1. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा, सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति की विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(7) <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :–</u>

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रुप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(8) <u>सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति :–</u>

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन–प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन, भत्ते, सुविधायें, कार्यनियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।

3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

क्रमशः— 11

Mary Kamal Singh

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 AUG 2012

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 909762



(9) <u>उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-</u>

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त, कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(10) <u>अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-</u>

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

2. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के उपाध्यक्ष सचिव उपसचिवों की नियुक्ति करना।

3. इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

क्रमशः — 12

तहसील मुहम्मदाबाद

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 .. 2012

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 909763



(11) <u>उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-</u>

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(12) <u>सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-</u>

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अर्न्तगत होने वाले सभी कार्य कलापों एवं दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण करना।
3. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित कार्यों हेतु, पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों केन्द्रों/संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्कता अनुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच, निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

क्रमशः... 13

Mary Karan Singh

वरिष्ठ कोषाधिकारी

गाजीपुर

13

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 909764

(13)

8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

**(13) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रुप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रुप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रुप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

**(14) बैंक एकाउन्ट :–**

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई/कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक में खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता।

क्रमशः 14

Mary Laiman Singh

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 ... 2012

गाजीपुर

14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 909765



(15) <u>विधिक कार्यवाही :-</u>

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

(16) <u>सम्पत्ति सम्बन्धी :-</u>

1. ट्रस्ट, चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय डीड/लेख/विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट, चल/अचल सम्पत्ति क्रय, विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट सम्मान् पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय, आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

क्रमशः..... 15

Manoj Kumar Singh

तहसील मुहम्मदाबाद

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 AUG 2012

गाजीपुर

15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 909766



7\. चल/अचल सम्पति प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय अनुज्ञप्ति, बन्धक, भारित, गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है। ले सकता है, दे सकता है।

(17) <u>विशेष :—</u>

क. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय/विधि माहविद्यालय /कार्यक्रम/ईकाई/कार्यालय /संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते है परन्तु यदि वह इस डीड आफ न्यू कैम्ब्रिज एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है, वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगें।

ख. अध्यक्ष/ट्रस्टी उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियो मे इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्रविधान/ प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी, इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। मोती लाल यादव शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें संन्निहित मोती लाल यादव शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियो की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

क्रमश.......16

Manoj Kumar Singh

तहसील मुहम्मदाबाद

वरिष्ठ कोषाधिकारी
28 Aug 2012
गाजीपुर

16

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 909767

उक्त न्यास विलेख में मु० 10000/- (दस हजार ) रू० दर्शाया गया है जिस पर 50 रू० प्रति हजार से स्टैम्प शुल्क 1000 रू० का दिया जा रहा है और उक्त न्यास विलेख में और कोई अराजी आदि का जिक्र नही किया गया है। और न ही कोई आराजी दर्शायी गयी है।मसविदाकर्ता दानिश सिद्दिकी एडवोकेट मुंशीफकोर्ट मु० बाद टाईपकर्ता अजमद दिनांक-15.01.2013

मसविदाकर्ता [signature]

DANISH SIDDIQUE
(B.A.L.L.B.)ADVOCATE
Civil Court Compound
M.Bad,Ghazipur
R.N.-4... 17.7.2004

टाईपकर्ता [signature]

मनोज कुमार सिंह न्यासकर्ता
मैनेजिंग डायरेक्टर (ट्रस्टी)
कैम्ब्रिज एजुकेशनल एण्ड चैरेटेबुल ट्रस्ट ग्रा०-बड़ौरा
पो०-सलामतपुर जनपद-गाजीपुर

गवाह- राकेश कुमार सिंह S/o नागेश्वर सिंह
ग्रा० - बड़ौरा, पो० सलामतपुर, जि० -गाजीपुर

गवाह- सुधीर कुमार सिंह S/o हरिकेश सिंह
ग्रा० - बड़ौरा पो० सलामतपुर जि० गाजीपुर

Manoj Kumar Singh

तहसील मुहम्मदाबाद

12

13

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 . . 2012

गाजीपुर

18/1/13

IV 14 33/64

03